



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या : SHSB/GA/HR/3328/2018

आदेश सं०: 3101.....

पटना, दिनांक: १९/०७/२०२०

-:आदेश:-

विज्ञापन संख्या 05/2019 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन **District Programme Coordinator (RNTCP)** के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से क्रमशः एकमुश्त मानदेय रू० 20,000/- प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिले में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	रौल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	3136743	ASHISH KUMAR SRIVASTAVA	UR	DARBHANGA
2	3197637	VAIBHAW VISHAL SINGH	UR	EAST CHAMPARAN
3	3197575	SANJEEV KUMAR	UR	SHEOHAR
4	3167138	NITESH KUMAR	UR	SHEIKPURA
5	3197434	ROHIT KUMAR GUPTA	UR	BANKA
6	3136745	AJAY KUMAR	UR	BEGUSARAI
7	3197469	SHASHI BHUSHAN	UR	GOPALGANJ
8	3167191	VIKASH KUMAR	UR	JAMUI
9	3167089	ROHIT RAJ	MBC	BUXAR
10	3197306	PANKAJ KUMAR	BC	MADHUBANI
11	3136767	SUMIT SAGAR	SC	MUNGER
12	3197488	DEEPAK KUMAR	MBC	SIWAN
13	3197664	SHASHI PRAKASH	BC	KHAGARIA
14	3136740	DEEPAK KUMAR	SC	WEST CHAMPARAN
15	3167052	SATYENDRA KUMAR	MBC	ARARIA
16	3136741	ANURAG	EWS	SAHARSA
17	3197557	HIMANSHU SHEKHAR	EWS	SARAN
18	3136860	ABHISHEK KUMAR	SC	BHAGALPUR





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



19	3167055	AVINASH KUMAR	SC	KISHANGANJ
20	3197416	SALONI KUMARI	UR	JEHANABAD
21	3137024	MAZHAR AMIR	MBC	KATIHAR
22	3167209	RANJAY KUMAR	MBC	SITAMARHI
23	3197317	ALOK KUMAR	EWS	PURNEA
24	3167136	ARCHANA KUMARI	UR	NALANDA
25	3197628	AMISHA DAS	UR	SAMASTIPUR
26	3197345	KUMARI MRIDULA	UR	BHOJPUR
27	3197392	PRITI JOSHI	UR	PATNA
28	3167040	SIMA KUMARI	BC	GAYA
29	3167202	AMITA KUMARI	BC	MUZZAFARPUR
30	3197566	SONAL	WBC	AURANGABAD
31	3197323	CHANDANI KUMARI	MBC	VAISHALI
32	3197393	RUKMINI KUMARI	PH-VH	MADHEPURA
33	3167108	SANDEEP KUMAR	ST	SUPAUL
34	3197423	ABHISHEK KUMAR	PH-OH	KAIMUR
35	3197436	PRIYANKA KUMARI	MBC	ROHTAS
36	3197432	PRITI KUMARI	SC	ARWAL
37	3167056	NIDHI LATA	SC	NAWADA
38	3136793	DAULY KUMARI	EWS	LAKHISARAI

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :-
- दिनांक 12/08/2020 तक अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
 - सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्र संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष समर्पित करेंगे, जहाँ सभी मूल प्रमाण-पत्रों की





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- जाँच सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी। जाँचोपरान्त कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- iii. योगदान के पश्चात् रू० 1,000/- (एक हजार रुपये) का Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति (सक्षम प्राधिकार) के साथ एकरारनामा करेंगे।
 - iv. यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
 - v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति अधिकतम 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
 - vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - viii. उक्त पदाधिकारियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
 - ix. सभी नवनियोजित District Programme Coordinator (RNTCP) को एकमुश्त मानदेय रू० 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा।
3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/3328/2018/3101

पटना, दिनांक: 29/07/2020

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।






राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, RNTCP, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।


कार्यपालक निदेशक

